प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
जनपद लखनऊ।

पत्रांकः 2510/कोविड–19/कन्ट्रोल रूम/2020 दिनांकः 04 अगस्त, 2020

विषयः लॉकडाउन अवधि व उसके उपरान्त जनपद न्यायालय के संचालन हेतु वांछित आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक रजिस्ट्रार जनरल, मा0 हाइकोर्ट, इलाहाबाद के पत्र संख्या– 1117 / LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांक 03.06.2020 व अपने पत्रांक–1329/आई–सी–ए–ओ /2020 दिनांक 22.05.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें दैनिक आधार पर मा0 जनपद न्यायालय से सम्बन्धित क्षेत्रों/स्थानों आदि के सम्बन्ध में Zone status, threat level आदि की सूचना चाही गयी है। उक्त वांछित सूचना के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–1382/2020/सीएक्स–3 दिनांक 31.05.2020 में केवल कन्टेनमेन्ट एवं बफर जोन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं, साथ ही समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के कम में निम्नलिखित प्रासंगिक दिशा निर्देश अवलोकनीय हैः–

1. कन्टेनमेन्ट–जोन का निर्धारण राज्य–सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय(MoHFW) द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है।

2. कन्टेनमेन्ट जोन को निम्नवत् परिभाषित किया जाता हैः–

शहरी क्षेत्र–

- जहॉ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहॉ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- शहरी क्षेत्र के एक घर में एक या एक से अधिक कोविड–19 से संकमित पाये जाते हैं तो कन्टेनमेन्ट जोन का दायरा 250 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला जो भी कम हो का ही होगा।
- एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन होगा।

Scanned with CamScanner

ग्रामीण क्षेत्र–

- जहॉ सिंगल केस है, वहॉ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
- यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेन्ट जोन होगा। इस गांव के इर्द–गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगें।

उपर्युक्त प्रासंगिक निर्देश व मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ की आख्या के आधार पर वांछित सूचना निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	स्थान	शासन के दिशा–निर्देश के अनुसार containment Zone में आने की स्थिति– Yes/No
01	All the premises of District Court, Lucknow comprising of District Court campus and old High Court campus	No
02	Roshan-ud-daula building	No
03	American Library	No
04	Juvenile Justice Board (situated at Mohan Road Lucknow)	Yes
05	A.C.J.M. Railway (N.R.)	No
06	A.C.J.M. Railway (N.E.R.)	No
07	Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Lucknow near Kapurthala	No

उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

नोडल अधिकारी
(कोविड–19 कन्ट्रोल रूम)
लखनऊ

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को अवलोकनार्थ।

नोडल अधिकारी
(कोविड–19 कन्ट्रोल रूम)
लखनऊ

Scanned with CamScanner